तारीख हुक्म 135/2022	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2023	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट बनेड़ा पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम बनेड़ा जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। आराजी नम्बर 1140, 1141, 1142, 1144 कुल किता 4 रकबा 1.4037 है0 दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 135 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– अजय अगवाल पिता रामपाल तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
2– आदित्य पिता कैलाश चन्द्र ना0बा0ब0 माता प्रीति देवी तेली नि. बनेड़ा
3– गीता देवी पत्नि रामपाल तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
4– तुसार पिता कैलाश तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
5– धापु पिता बालु तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
6– प्रीति देवी पत्नि कैलाश चन्द्र तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
7– पुष्पा पिता बालु तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
8– मन्जु पिता बालु तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
9– लक्ष्मी अगवाल पिता रामपाल तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
10– ललीता पिता रामपाल तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
11– वैष्णवी पिता कैलाश ना0बा0ब0बि0 माता प्रीति देवी तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
12– सोहनी पत्नि बालु तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– उदय लाल पिता बालु कुमावत नि. कोडलाई तहसील बनेड़ा
2– भैरू लाल पिता मांगी लाल रेगर नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
3– भैरूलाल पिता कालु लाल धोबी नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
4– भैरू लाल पिता काना तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
5– बद्री लाल पिता काशी तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
6– मुला पिता मांगु तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
7– राधेश्याम पिता नन्दा तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
8– सत्यनारायण पिता मुला तेली नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
9– जमीला पत्नि शफी मोहम्मद खेरादी नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
10– लादु लाल पिता लालु रेगर नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
8– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– के.के. जीनगर

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 24 / 04 / 2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बनेड़ा, [illegible] बनेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1140, 1141, 1142, 1144 कुल किता 4 रकबा 1.4037 है0 के [illegible]दार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत

आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस सुनी और उस पर मनन किया। पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधनों पर गौर किय ग्राम **बनेड़ा**, पटवार हल्का **बनेड़ा**, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र **बनेड़ा** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 1140, 1141, 1142, 1144 कुल किता 4 रकबा** 1.4037 **है0** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को लेकर पड़ौसी खातेदारों के मध्य यदि स्पष्ट सीमा विभाजक चिन्ह नहीं होते है तो परस्पर सीमा–विवाद होना स्वाभाविक है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार एवं कब्जेकाश्त है। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि सीमा विवादों का निस्तारण धारा 111 में वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए किया जाएगा। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते है।

// आदेश //

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थी खातेदार की ग्रान **बनेड़ा** में स्थित आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 1140, 1141, 1142, 1144 कुल किता 4 रकबा 1.4037 है0** भूमि का राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रकिया से सीमाज्ञान करते हुए सीमा–विवाद का निस्तारण करें एवं खातेदार की खातेदारी भूमि पर संबंधित खातेदार के हर्जे–खर्जे पर सीमा विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार बनेड़ा को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक **24/04/2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **बनेड़ा** पर सुनाया गया।

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested